

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक क्लर्क एव.स. 100, मुकाम बायत

मिया बाई बनाम राजा गौरा

किस्म मुकदमा कां. नं. 111, 120 KURAK नं. 84/10 सन्. 2018

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>20/02/18</p> <p>04/04/18</p>	<p>प्राथी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>जगदीश गौरा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120 KURAK</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/04/18</u> को पेश हो।</p> <p>प्राथी पक्षील उपस्थित। विप्राथीगणों के नोटिस तामील शुदा जात जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथीगण वाक्युड तामिल करु उपस्थित। प्राथी के अधिकृत की उपस्थित छानस हुनी गई प्राथी के अधिकृत ने पत्रावली प्राथी को अपने ध्यानेदारी खेले के चारों ओर पत्रे नैषम स्थापित हुवाना कावशुड हो इस्लिय प्राथी डा कावेडन स्वीडर किया जाडर नैषमकरी कादेश किया जावे। अतः प्राथी डा नैषमकरी कावेडन स्वीडर किया जाडर तटवीलडा बायतु डो इनिशियल निशुभत किया जात है क कादेश किया जात है कि आप स्वम या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अमिलेय निरिषुड के प्राथी के ध्यानेदारी खेले की पकरी नैषमकरी मोडे पर शुडु जमाडर डरे। पालना रिपोर्ट जात होने पर शामिल पत्रावली की पत्रावली तामिल शुमार हो, दर्ज नम्बर के उम हो दाखिल दस्तूर हो।</p>	<p>114 12/3/18</p>

सहायक क्लर्क (SDO)
बायत

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2018/ 478

दिनांक :-04.04.2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी गण
1. मिया पत्नि मताखान जाति मुसलमान निवासी सियांगो की ढाणी माडपरा बरवाला तहसील बायतु		1. फजाखान पुत्र नुराखान 7 जाति मुसलमान निवासी सियांगो की ढाणी माडपरा बरवाला तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राजस्थान भू रा अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 84/18

आदेश

मौजा सियांगो की ढाणी पटवार हल्का माडपरा बरवाला तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 720 रकबा 120.8 बीघा की भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्त भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखम बन्दी मौके पर शुल्क जमा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/ 479 to 483

कमिश्नर :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी माडपुरा बरवाला को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री मिया बाई वगैरा
4. विप्रार्थी श्री फजाखान वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना नागाणा

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO,
दिनांक 04.04.2018
बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलेक्टर (SDO,
बायतु